



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

तखनक, शुक्रवार, १५ जनवरी, २०१०

पौष २५, १९३१ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृत शिक्षा अन्वभाग

सरङ्ग ४१२ / सं० १५-९-०९-२५ (३५)-०४

तखनक, १५ जनवरी, २०१०

अधिसूचना

प०आ०-४५

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, २००० (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३२, सन् २०००) की धारा २५ एवं धारा २६ के साथ पठित धारा २१ के अधीन शक्ति का प्रयोग कर, राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, संस्था के प्रधानों, अध्यापकों तथा संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, ने निम्नलिखित विनियमावली को बनाया है जिसे उक्त अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) की अपेक्षानुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों) विनियमावली, २००९

### अध्याय-१

#### प्रारम्भिक

१--(१) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद संक्षिप्त नाम और (संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों) विनियमावली, २००९ कही जायेगी।

(२) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अध्याय-2

संस्थाओं के प्रधानों एवं अध्यापकों की नियुक्ति

2-किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान और अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए, सीधी भर्ती से हो या अन्यथा, न्यूनतम अर्हतायें वही होंगी जैसी "परिशिष्ट-क" में दी गयी है।

3--(1) संस्था के प्रधान का पद विनियम 9 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां संस्था के प्रधान के पद में ऐसी अस्थायी रिक्ति पदधारी को किरती शिक्षा सत्र के दौरान छः माह से अनधिक अवधि की छुट्टी प्रदान किसी पदधारी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति या उसके निलम्बन के कारण हुई हो, संस्था में श्रेणी में ज्योष्ठतम अर्ह अध्यापक की, यदि कोई हो, पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी।

(2)-(क) जहां कोई संस्था प्रथमा से पूर्व मध्यमा अथवा पूर्व मध्यमा से उत्तर मध्यमा में की जाय वहां संस्था के प्रधान के पद को 'यथारिथति' प्रथमा के प्रधान अध्यापक की पदोन्नति व पूर्व मध्यमा, के प्राचार्य की पदोन्नति कर भरी जाएगी, यदि ऐसा प्रधानाध्यापक पूर्व मध्यमा मध्यमा के प्रधान के पद की नियुक्ति हेतु विहित उत्तम सेवा अभिलेख और न्यूनतम अर्हता रखता

(ख) ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य की पदोन्नति क जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से संयुक्त शिक्षा निदेशक के समक्ष उसकी सहमति के लि करेगी।

(ग) उप खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के साथ प्रबन्ध समिति के उस प्रस्ताव की, जिसमें ऐसे प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का अनुमोदन किया गया हो, उसकी सेवा पुस्तिका औ पंजिका सलग्न होगी और उसमें उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दिया होगा, अर्थात् -

(एक) जन्म का दिनांक;

(दो) उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा, जिसमें ऐसी परीक्षाओं के विषय, श्रेणी और उत्ती का वर्ष उल्लिखित होगा।

(घ) मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ऐसे प्रस्ताव पर अपने विनिश्चय के सम्बन्ध में उसके के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर संसूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि संयुक्त शिक्षा निदेशक ने ऐसे प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के विनिश्चय के सम्बन्ध में समिति तथा सम्बन्धित प्रधान को भी संसूचित किया जायेगा।

(च) खण्ड (ङ) के अधीन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के विनिश्चय से व्याधित कोई जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति भी है, आदेश के संसूचित किये जाने के दिनांक से दस दिन के उसके विरुद्ध शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को अप्यावेदन कर सकता है। निदेशक(माध्यमिक), उत्तर प्रदेश का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(छ) प्रथमा या पूर्व मध्यमा, जैसी भी रिथति हो, का प्रधानाध्यापक उच्चकृत संस्था के प्रधनाध्यापक के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य न पाये जाने की रिथति में, उसे उच्चतम पद पर लिए वह अर्ह हो सहायक अध्यापक के रूप में रखा जाएगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका वे घटाया नहीं जाएगा।

(3) जहां संस्था, के प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति छः माह से अनाधिक अवधि की हें संस्था में उच्चतम श्रेणी में ज्योष्ठतम अर्ह अध्यापक को तदर्थ संस्थाध्यक्ष के रूप में कार्य कर अनुमति दी जाएगी परन्तु वह जो वेतन वर्तमान वेतनमान में प्राप्त कर रहा है, उससे उच्चतर वेतन वेतन का अधिकारी नहीं होगा।

(4) ऐसे सभी मामलो में, जिनमें इस विनियम के अधीन पदोन्नति की जाय, प्रबन्ध समि संकल्प की प्रति परिशिष्ट-ख में विहित प्रारूप विवरण के साथ शीघ्र ही प्रबन्धक द्वारा जिला वि निरीक्षक और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को अनुमोदन हेतु अग्रसारित की जाएगी।

4--(1) प्रत्येक संस्था की प्रबन्ध समिति निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार अध्यापकों की ज सूची तैयार करायेंगी :-

(क) प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों की, चाहे किसी मौलिक पद पर स्थायी हो या अर ज्योष्ठता सूची पृथक-पृथक तैयार की जायेगी;



(ख) किसी श्रेणी में अध्यापकों की ज्योष्ठता उस श्रेणी में उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर अवधारित की जायेगी। यदि एक ही दिनांक को दो या दो से अधिक अध्यापक इस प्रकार नियुक्त किये गये हों, तो ज्योष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी;

(ग) जहां किसी श्रेणी में काम करने वाले दो या अधिक अध्यापक एक ही दिनांक को अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति किए जायें वहाँ उनकी पारस्परिक ज्योष्ठता उनकी सेवा अवधि के आधार पर अवधारित की जाएगी, जिसकी गणना उस श्रेणी में जिससे पदोन्नति की जाय, उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से की जाएगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सेवा की अवधि समान हो तो ज्योष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(घ) सेवा काल की अवधि, चाहे कुछ भी हो, उच्चतर श्रेणी के अध्यापक को निम्नतर श्रेणी के अध्यापक से ज्योष्ठ समझा जाएगा;

(ङ) यदि कोई अध्यापक जो निलम्बित किया गया हो अपने मूल पद पर बहाल कर दिया जाय तो श्रेणी में उसकी मूल ज्योष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(च) अध्यापक की ज्योष्ठता के सम्बन्ध में प्रत्येक विवाद प्रबन्ध समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा जो विनिश्चय के कारणों को देते हुए विनिश्चय करेगी;

(छ) उपखण्ड (च) के अधीन प्रबन्ध समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक, ऐसे विनिश्चय के प्राप्त किए जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाओं को अपील कर सकता है, और उसे उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) को उसकी संस्तुति के लिए अग्रसारित करेगा। उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) ज्योष्ठता सूची प्रतिवर्ष पुनरीक्षित की जायेगी और खण्ड (1) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे पुनरीक्षण पर लागू होंगे।

5--जहां किसी प्रथमा स्कूल को धारा 11 के अधीन पूर्व मध्यमा के रूप में मान्यता दी जाय, वहां ऐसे स्कूल के ऐसे स्थायी या अस्थायी अध्यापक को, जो विनियम 2 के अधीन उल्लिखित न्यूनतम अर्हता रखता हो, ऐसे पूर्व मध्यमा स्कूल का यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी अध्यापक समझा जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अस्थायी अध्यापक की सेवायें, जिसका अधिनियम और विनियम के अनुसार नियुक्ति के लिए चयन न किया गया हो, उसे उस निमित्त एक माह का नोटिस या ऐसी नोटिस के बदले में एक माह का वेतन देने के पश्चात् सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

6--(1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था में अध्यापक के पद की प्रत्येक रिक्ति, उप विनियम (2) में किए गए अन्याय उपबन्ध के सिवाय, सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी।

(2) (क) प्रवक्ता श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत पद एल0टी0 श्रेणी में संस्था में कार्यरत अध्यापकों में से केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित रहेगा और पदोन्नति ऐसे अध्यापकों की पदोन्नति के लिए उपलब्धता तथा पात्रता के अधीन की जायेगी।

(ख) यदि प्रवक्ता श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक पद पहले ही पदोन्नति द्वारा भर लिए गए हों तो पहले से पदोन्नत व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जायेगा।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन पचास प्रतिशत पदों की संगणना करने में आधा से कम भाग छोड़ दिया जायेगा और आधा या आधे से अधिक भाग को एक समझा जायेगा।

7--(1) जहां विनियम 6 के अधीन यथावधारित प्रवक्ता श्रेणी में कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा भरी जानी हो, वहाँ एल0टी0 श्रेणी में कार्यरत ऐसे सभी अध्यापकों के सम्बन्ध में जिनकी उक्त रिक्ति होने के दिनांक को न्यूनतम पांच वर्ष की लगातार मौलिक सेवा हो, प्रबन्ध समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उसके निमित्त आवेदन किए बिना ही विचार किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि वे उस विषय में जिसमें प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक की आवश्यकता हो, अध्यापक के लिए निहित न्यूनतम अर्हता रखते हों।

(2) अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए चयन सेवाकाल, सेवायें, सेवा में उपलब्धि, शैक्षिक अर्हता और सत्यानिष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(3) उप नियम (2) के अधीन रहते हुए जहां किसी विषय में प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति के लिए एल0टी0 श्रेणी में एक से अधिक अध्यापक पात्र हों, वहां ऐसे अध्यापक को अधिमानता दी जायेगी जो उनमें से उस श्रेणी में ज्योष्ठतम हों।

(4) (क) किसी ऐसे अध्यापक के दावे को जो पदोन्नति के लिए पात्र हो केवल इस कारण उपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह लम्बी छुट्टी पर चला गया है या उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर अस्थायी रूप से स्थानापन्न है या कार्य कर रहा है।

(ख) किसी ऐसे अध्यापक की दशा में जो निलम्बित हो, पदोन्नति के लिए दावे की उपेक्षा नहीं की जायेगी, यदि पदोन्नति हेतु चयन किए जाने के पूर्व बहाल कर दिया जाय।

(5) किसी ऐसे अध्यापक के सम्बन्ध में जिसका इन विनियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन किया गया है, संस्था का प्रबन्धक ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर जिला विद्यालय निरीक्षक की सहमति के लिए प्रस्ताव के साथ ऐसे संकल्प की एक प्रति और एक विवरण-पत्र भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए जायेंगे :-

(एक) उस श्रेणी में जिसमें पदोन्नति की जानी हो, स्वीकृत पदों की कुल संख्या;

(दो) ऐसे पदों की संख्या जो पदोन्नति के लिए आरक्षित रखे जायेंगे;

(तीन) ऐसे पदों की संख्या जो पहले ही पदोन्नति द्वारा भर दिये गये हों, और पदाधिकारियों के नाम;

(चार) ऐसी रिक्तियों की संख्या जो हो गई हो;

(पाँच) प्रबन्ध समिति द्वारा अवधारित रिक्तियों की संख्या जो -

(क) पदोन्नति;

(ख) सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी।

(छ) पदोन्नति के लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम, उनकी अर्हता और उस श्रेणी में जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से उनकी सेवा की अवधि; और

(सात) पदोन्नति के लिए चयन किए गए व्यक्तियों के नाम।

(6) विनियम (5) में निर्दिष्ट प्रस्ताव की प्राप्ति पर जिला विद्यालय निरीक्षक अपनी संस्तुति के साथ, उसे सम्बन्धित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के पास एक सप्ताह के भीतर भेजेगा। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एक सप्ताह के भीतर अपने विनिश्चय के संबन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक को संसूचित करेगा जो एक सप्ताह के भीतर पदोन्नति को अनुमोदित करेगा।

(7) जहां प्रबन्ध समिति उपविनियम (6) के अधीन निरीक्षक के विनिश्चय से व्यथित हो, वहां वह प्रबन्धक को ऐसे विनिश्चय की संसूचना दिए जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर उसके विरुद्ध शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को अपावेदन कर सकती है जिसका विनिश्चय उस मामले में अतिम होगा।

8--(1) जहां अध्यापक के पद की कोई रिक्ति उसे छः माह से अधिक अवधि की छुट्टी प्रदान किए जाने के कारण हुई हो या जहां कोई अध्यापक निलम्बित हो जिसे सम्बन्धित संयुक्त शिक्षा निदेशक ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2000 की धारा 26 की उपधारा (6) के अधीन लिखित रूप में अनुमोदित कर दिया हो और ऐसे अनुमोदन के दिनांक से छः माह से अधिक हो जाने की सम्भावना हो तो रिक्ति विनियम-9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती है।

(2) जहां विनियम-3 के अधीन पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपविनियम (1) के अधीन कोई रिक्ति हुई हो और ऐसी रिक्ति की अवधि तीस दिन से अधिक किन्तु छः माह से अनधिक हो तो प्रबन्ध समिति द्वारा ज्योष्ठतम के आधार पर संस्था के निकटतम निम्नतर श्रेणी के सम्यक् रूप से अर्ह स्थायी अध्यापक की पदोन्नति करके भरी जा सकती है।



(3) यदि खण्ड (2) के अधीन कोई रिक्ति निकटतम निम्नतर श्रेणी में संस्था के किसी ऐसे अध्यापक के, जो उस पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, उपलब्ध न होने के कारण भरी न जा सके तो वह प्रबन्ध समिति द्वारा कुल मिलाकर छः माह से अनधिक अवधि के लिए सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ आधार पर भरी जा सकती है।

(4) उपविनियम (2) या उपविनियम (3) के अधीन भरी गई सभी रिक्तियों के बारे में उनके भरे जाने के एक सप्ताह के भीतर परिशिष्ट (ख) में विहित प्रारूप में संयुक्त शिक्षा निदेशक को सूचित किया जाएगा।

9-किसी मान्यताप्राप्त संस्था में संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी -

(क) प्रबन्ध समिति द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित कर लिए जाने के पश्चात् भर्ती के प्रस्ताव को पूर्वानुमोदन हेतु निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए भेजेगा -

- (1) उस श्रेणी में जिसमें नियुक्ति की जानी हो, स्वीकृत पदों की कुल संख्या;
- (2) आरक्षण हेतु रखी गयी ऐसी रिक्तियों की संख्या;
- (3) अनारक्षित रिक्तियों की संख्या;
- (4) अध्यापकों का विवरण (श्रेणीवार)।

(ख) खण्ड (क) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश संस्था में कर्मचारियों की संख्या का अवधारण करने के पश्चात् शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को अनुमोदनार्थ संसूचित भेजेगा।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश अपना विनिश्चय संसूचित करेंगे।

(घ) खण्ड (ग) के अधीन अनापत्ति प्राप्त होने पर प्रबन्ध समिति उसे मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें को भेजेगी जो उसे मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजेगा।

(ङ) मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें द्वारा कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों (एक हिन्दी तथा दूसरा अंग्रेजी) जिनका राज्य में व्यापक प्रचलन हो, रिक्तियों की संख्या, पदों के विवरण के प्रकार (अर्थात् अस्थायी है या स्थायी), संस्था के प्रधान, प्रवक्ता या एल0टी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसे विषय जिनमें प्रवक्ता या एल0टी0 ग्रेड के अध्यापक की आवश्यकता हो) वेतनमान व अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता एवं न्यूनतम आयु, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिये गये हों और अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए) विज्ञापित किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्मिलित रूप से पूर्णतया भरे गये आवेदन-पत्र मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।

विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें के कार्यालय से 25/- रु0 प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट से भुगतान करने पर या कोषागार के चालान से निरीक्षक द्वारा बताये गये शीर्षक के अधीन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में धनराशि जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी दशा में मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें के कार्यालय में नकद रूप से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी--(1) विज्ञापन देने के समय पर विद्यमान संस्था के अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के पद की रिक्तियां विज्ञापित की जायेंगी।

(2) कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रबन्ध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।

(3) आवेदन का प्रपत्र ऐसा होगा जैसा कि निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(छः) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिये गये आवेदन पत्र को जो संस्था में नियोजित हों और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन कर रहा हो, नियोजक द्वारा रोका नहीं जाएगा, किन्तु शीघ्र ही मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें को अग्रसारित किया जायेगा।

(ज) प्राप्त किये गये आवेदन पत्र मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें के कार्यालय अनुमोदित प्रपत्र रखे गये रजिस्टर में क्रमानुसार संख्यांकित एवं प्रविष्ट किये जायेंगे और अभ्यर्थियों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण विषयक प्राप्तियों के साथ समुचित स्तम्भों में अन्तर्गत दर्ज किये जायेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी का गुण विषयक अंक परिशिष्ट "घ" में अधिकतम मानदण्ड के अनुसार अधिमान्यतया निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये गये स्थानीय सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों या सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों या उपाधि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा दिये जायेंगे और इसकी जांच मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें के अधिकारियों द्वारा की जायेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थी का चयन उनके द्वारा गुण विषयक प्राप्तियों के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वालों की संख्या (यदि आवेदकों की संख्या उतनी ही) सा होगी। प्रतिबन्ध यह है कि संख्या ऐसे अभ्यर्थियों को अवरुद्ध करने के लिए बढ़ाई जा सकती है जो प्रथम सात स्थानों में समान गुण विषयक अंक प्राप्त करें। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक चयन करने के लिए ऐसे दिनांक समय और स्थान का विनिश्चय करेगा जैसा कि उसके द्वारा निर्धारित किया जाय, ऐसे दिनांक से कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेजेगा।

(झ) मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें चयन समिति के सदस्यों को सूचना दे और साक्षात्कार के लिए निर्धारित दिनांक समय और स्थान कम से कम दस दिन पूर्व अभ्यर्थी को पंजीकृत डाक द्वारा देगा। चयन समिति चयन के लिए तदनुसार बैठक आयोजित करेगी चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

- |   |             |
|---|-------------|
| (एक) मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक   | - सभापति    |
| (दो) दो मंडलीय-उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें  | - सदस्य सचि |
| (तीन) शिक्षा निदेशक माध्यमिक उ०प्र० द्वारा मनोनीत दो संस्कृत विशेषज्ञ   | - सदस्य     |
| (चार) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दो राजपत्रित अधिकारी जिनमें एक अनुरूपित जाति तथा दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय का हो। | - सदस्य     |
| (पाँच) सम्बन्धित स्लैब का जिला विद्यालय निरीक्षक तथा वित्त एवं लेखाधिकारी   | - सदस्य     |

(ज) मंडलीय उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाये अभ्यर्थियों के संबंध में नाम, अर्हताएँ व अन्य विवरण (आठ प्रतियों में) परिशिष्ट-"ग" के अनुसार तैयार कराया जाएगा और विवरण चयन समिति के प्रत्येक सदस्य के समक्ष साक्षात्कार के सखा जाएगा।

(ट) चयन समिति द्वारा चयन सम्पूर्ण गुण विषयक अंकों के आधार पर तथा साक्षात्कार प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ पूर्णांक को खण्ड(ज) के अधीन अक्ष द्वारा प्राप्त गुणांकों एवं चयन समिति के सदस्यों द्वारा 50 अंकों से प्रदत्त औसत अंकों जोड़कर निकाला जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विशेषज्ञ उपनिियम (ज) में अभिलिखित कि वह अभ्यर्थी के चयन से सहमत है या नहीं। असहमति की दशा में वह सक्षेप में का लिखेगा। पद के लिए सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के उपरान्त चयन समिति का सभापति तो स्वयं या किसी दूसरे सदस्य द्वारा आयोजित चयन की कार्यवाही पर दो प्रतियों में टिप तैयार करायोगा जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के नाम तथा प्रतीक्षत सूची में दो अभ्यर्थियों के गुणवत्ता के क्रम में तथा कम से कम दो विशेषज्ञों जो ऐसे अभ्यर्थियों के चयन से सहमत हों नाम अंकित करेगा। इस प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर सभापति तथा चयन समिति के सदस्य पूर्ण नाम, पद, पता तथा दिनांक अंकित करेगा। इस टिप्पणी की एक प्रति खण्ड (ज) निर्दिष्ट विवरण की प्रति के साथ शीघ्रतः शीघ्र प्रवन्धाधिकरण के अध्यक्ष को प्रबन्धक के मा



से अग्रसारित किया जायेगा तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित किया जायेगा।

(द) खण्ड (ज) में किररी बात के होते हुए भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान हों तो आयु में ज्येष्ठतम अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

10—चयन से सम्बन्धित सभी आवेदन पत्र, कागज पत्र और रजिस्टर मंडलीय उपनिरीक्षक पाठशाळाओं द्वारा उतनी अवधि तक सुरक्षित रखे जायेंगे जैसी कि निदेशक द्वारा विहित की जाय और जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश को जैसे ही और जब उन्हें मांगा जाय, प्रस्तुत किये जायेंगे।

11—संयुक्त शिक्षा निदेशक एक या अधिक संस्थाओं के एक या अधिक चयन के लिए ऐसे स्थान, समय और दिनांक निर्धारित कर सकता है, जो सुविधाजनक हों।

12—संस्था के प्रधान एवं अध्यापकों के चयन के लिए शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश प्रत्येक मंडल के लिए पृथक-पृथक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए उनकी लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात् मनोनीत करेगा।

13—चयन समिति की बैठक में उपरिष्ठ प्रत्येक विशेषज्ञ और गुण विषयक अंक देने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पथारकीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों को ऐसी दर पर जैसा राज्य सरकार स्वीकृत किया जाय, यात्रा भत्ता दिया जायेगा।

14—विनियम-9 के खण्ड (क) के अधीन चयन समिति की संस्तुति व निनिर्दिष्ट अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् छिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के सहायक के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ख' में दिये गये पत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा जिसमें अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर कार्याभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायेगी, कार्याभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। इसकी एक-एक प्रति मंडलीय निरीक्षक संस्कृत पाठशाळाओं, जिला विद्यालय निरीक्षक और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजी जायेगी।

15—यदि शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश का यह समाधान हो जाय कि चयन की प्रक्रिया दूषित है तो वह अग्रानु की प्रक्रिया को निष्पादकी एवं शून्य घोषित करेगा और ऐसे भागलों में पुनः चयन किए जाने का आदेश देगा। इस सम्बन्ध में निदेशालय का आदेश सभी सम्बन्धित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

### अध्याय-3

#### अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

16—राज्य की प्रत्येक संस्कृत संस्था में समूह 'ग' एवं समूह 'घ' का एक-एक पद सुनिश्चित किया जायेगा। ऐसे कर्मचारियों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान प्रदान किए जायेंगे।

17—समूह 'ग' के कर्मचारी की नियुक्ति प्रबन्ध समिति द्वारा और समूह 'घ' के कर्मचारी की नियुक्ति संस्था के प्रधान द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के पूर्वानुमोदन से की जायेगी।

18—(1) समूह 'ग' के पद पर चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जायेगी। कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों में (जिनमें एक राज्य में व्यापक प्रचलन वाला तथा दूसरा स्थानीय प्रकाशन वाला होगा) पद विज्ञापित किए जायेंगे और जिला सेनाभार अधिकारी से भी अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त किये जायेंगे।

(एक) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य चयन समिति का सहायक होगा।

(दो) संस्था का प्रधान।

(तीन) जिला विद्यालय निरीक्षक या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी।

(चार) जिला सेवायोजन अधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी।

(2) ऐसे पद की रिक्ति विज्ञापित की जायेगी और रिक्ति का प्रकाशन कम से कम दो समाचार पत्रों में जिनका क्षेत्र में प्रचलन हो, किया जाएगा।

19-समूह 'घ' के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन से जिला सेवायोजन अधिकारी से अभ्यर्थी के नाम प्राप्त किये जायेंगे।

20-समूह 'ग' पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता किसी विधि द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से प्रदत्त 'स्नातक' उपाधि होगी तथा समूह 'घ' पद के लिए हाईस्कूल।

21-समूह 'ग' तथा समूह 'घ' पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न होगी। आयु में छूट समय-समय पर प्रवृत्त नियमों के अनुसार दी जायेगी।

#### अध्याय--4

संस्था के प्रधान, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें

नियुक्ति, परीक्षा तथा स्थायीकरण :-

22-संस्था के प्रधान और अध्यापक प्रबन्ध समिति द्वारा कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई के पूर्व किसी संस्था के प्रधान अथवा अध्यापक के होने वाले स्पष्ट रिक्त स्थान की मौलिक रूप से पूर्ति आने वाले 31 जुलाई तक कर दी जायेगी। 01 अगस्त तक सम्भावित रिक्त स्थान की पूर्ति इसी प्रकार आने वाले 31 अगस्त तक होनी चाहिए।

23--(1) समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए ऐसी न्यूनतम अर्हतायें होंगी जैसी इन विनियमों में अवधारित की जायें:

प्रतिबन्ध यह है कि समूह 'घ' का कर्मचारी जिसमें 10 वर्ष की सेवा पूरी करली हो समूह 'ग' के पद पर पदोन्नति के लिए छूट दी जा सकती है, लेकिन किसी भी दशा में समूह 'घ' का कर्मचारी तब तक पदोन्नति नहीं पाएगा जब तक वह इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले।

(2) प्रधान लिपिक एवं नैतिक श्रेणी लिपिकों के स्वीकृत पदों की संख्या का पचास प्रतिशत नियमित रूप से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा जिन्होंने ने 5 वर्ष की अविरल सेवा पूरी कर ली हो परन्तु यह कि समूह 'ग' के पद पर नियुक्ति के लिए इस नियमावली के अधीन निर्धारित अर्हता रखता हो तथा उसका सेवा अभिलेख संतोषजनक हो। यदि कोई कर्मचारी प्रबन्ध समिति के किसी विनिश्चय से व्यथित हो तो वह ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर मण्डलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाओं को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और प्रबन्ध समिति द्वारा उसे कार्यान्वित किया जायेगा।

24-ऐसे किसी व्यक्ति को शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), उत्तर प्रदेश की पूर्व सहमति के बिना नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह किसी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त संस्था की सेवा से पदन्युत संस्था का प्रधान अथवा अध्यापक हो।

25-अध्यापक वर्ग में से कोई सदस्य अथवा संस्था का प्रधान किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति में किसी पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

26-सभी नियुक्तियों का चयन समिति द्वारा चयन के अध्यक्षीन और नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से औपचारिक आदेशों या नियुक्ति पत्रों के अधीन की जायेगी।

27-किसी स्पष्ट रिक्ति के सापेक्ष मौलिक नियुक्ति हेतु चयनित किसी व्यक्ति को उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परीक्षाधीन रखा जायेगा।

28-संस्था के प्रधान या किसी अध्यापक, चाहे वह सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया हो, के लिए परीक्षा अवधि एक वर्ष होगी।

29-परीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी किया जायेगा यदि उसने स्वयं को भर्ती किये गये पद के योग्य सिद्ध किया है तथा उसकी रक्तनिष्ठा प्रमाणित है।



30--यदि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से पूर्व संस्था के प्रधान या अध्यापक की सेवा समाप्त नहीं कर दी जाती है अथवा विनियम 31 के अधीन उसे पदच्युत करने, उन्मोचित करने या हटाने या पदावनत करने के लिए कार्यवाही नहीं की जाती है तो उसे अपने पद एवं पदक्रम में परिवीक्षा काल की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा।

31--संस्था के प्रधान अथवा अध्यापक की परिवीक्षा अवधि अधिकतम 12 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

32--जिस तिथि को किसी अध्यापक का स्थायीकरण नियत है, उस दिनांक से कम से कम छः सप्ताह पूर्व संस्था का प्रधान उसके स्थायीकरण का कागज-पत्र तैयार करेगा और उन्हें अपनी अभियुक्तियों, अध्यापक चरित्र पंजी तथा नियुक्ति आदेश के साथ प्रबन्धक को भेजेगा जो उन्हें प्रबन्ध समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार संस्था के प्रधान के स्थायीकरण के कागज-पत्र प्रबन्धक द्वारा तैयार किये जायेंगे और उन्हें प्रबन्ध समिति के समक्ष रखा जायेगा। प्रबन्ध समिति का विनिश्चय प्रत्येक मामले में संकल्प के रूप में अभिलिखित किया जायेगा।

33--प्रबन्ध समिति द्वारा किसी व्यक्ति को स्थायी किए जाने के संकल्प की एक प्रति उसकी सेवापुरतिका में चिपका दी जायेगी और उसकी सेवा पुरतिका में समुचित प्रविष्टि की जायेगी।

34--किसी संस्था के प्रधान अथवा अध्यापक के परिवीक्षाकाल में एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण होने पर उसकी परिवीक्षा में व्यवधान नहीं होगा और उसके स्थायीकरण की कार्यवाही उस संस्था द्वारा की जायेगी जिसमें वह स्थानान्तरित हुआ है।

35--संस्था के प्रधान, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष होगी। यदि संस्था के प्रधान अथवा अध्यापक की सेवानिवृत्ति का दिनांक 2 जुलाई और 30 जून के मध्य में पड़ता है, तो उसे उस वर्ष के 30 जून तक स्वतः सेवा विस्तार दिया जाएगा, जबतक कि वह उक्त के सम्बन्ध में लिखित रूप में प्रत्याख्यान नहीं दे देता है।

36--सेवा विस्तार उन्ही विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदान किया जायेगा जिनका अवधारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

यदि किसी समूह 'ग' या समूह 'घ' के कर्मचारी की अधिवर्षिता आयु किसी माह के मध्य उस माह के प्रथम दिनांक के पश्चात् पड़ती है तो वह उस माह के अन्तिम दिनांक तक सेवा में रहेगा और माह के प्रथम दिनांक की स्थिति में पूर्व माह के अन्तिम दिनांक को उसकी अधिवर्षिता आयु होगी।

37--समूह 'ग' तथा समूह 'घ' श्रेणी के अन्य कर्मचारी

समूह 'ग' तथा समूह 'घ' श्रेणी के ऐसे अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति, परिवीक्षा (जिसकी अवधि एक वर्ष होगी) तथा रिक्तियों का भरा जाना, नियुक्ति, परिवीक्षा तथा स्थायीकरण आवश्यक परिवर्तनों सहित, विनियम 22, 25 से 33 द्वारा शासित होंगे।

#### अध्याय-5

##### किसी संस्था के प्रधान अथवा अध्यापक की सेवा समाप्ति

38--अस्थायी रूप से एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त अथवा अवकाश रिक्ति में अथवा सत्र के किसी आंशिक भाग के लिए होने वाली किसी रिक्ति में नियुक्त किसी अध्यापक या संस्था के प्रधान की सेवाओं, जबतक विधि के अनुसार बढ़ायी न जाय, उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिये उसकी नियुक्ति की गई थी अथवा जब रिक्ति समाप्त हो जाएगी, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी और इस प्रकार की समाप्ति के लिए किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

39--(1) किसी स्थायी अध्यापक या संस्था के प्रधान की सेवाएं, उसे तीन मास की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन मास का वेतन देकर जिस पद पर अध्यापक कार्य कर रहा है, उस पद के समापन के आधार पर समाप्त की जा सकती हैं, पद समापन निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है :-

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण विनिश्चित की गयी छंटनी।

(ख) एक विषय का हटाया जाना।

(ग) वर्ग अथवा कक्षा की समाप्ति।

(2) उप विनियम (1) में उल्लिखित नोटिस की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अथवा उसके बदले में संदत्त की जाने वाली धनराशि निर्धारित करने के लिए ग्रीष्मावकाश की अवधि अपवर्जित कर दी जायेगी।

40--प्रबन्ध समिति स्थायी अध्यापक या संस्था के प्रधान की सेवा की समाप्ति के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को उस समय तक प्रस्तावित नहीं करेगी जब तक इस उद्देश्य से विशेष रूप से आहूत बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव नहीं पारित हो जाता है।

41--कोई अध्यापक या संस्था का प्रधान उपरोक्त नोटिस देकर अथवा उसके बदले में वेतन देकर त्याग पत्र दे सकता है।

42--किसी अध्यापक या संस्था के प्रधान को त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं मिलेगी यदि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है जब तक कि उसे प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसा करने की विशेष अनुमति नहीं प्राप्त हो जाती है।

#### अध्याय--6

##### दण्ड, जांच तथा निलम्बन

43--(1) अध्यापक या संस्था के प्रधान को दण्ड जिराके लिए मण्डलीय संपुक्त शिक्षा निदेशक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, निम्नलिखित में से किसी एक रूप में हो सकता है :-

(क) पदच्युति।

(ख) पद से हटाना या मुक्त करना।

(ग) श्रेणी में अवनति।

(घ) परिलब्धियों में कमी।

(2) समूह 'घ' कर्मचारियों को उप विनियम(1) में उल्लिखित कोई दण्ड दिये जाने हेतु संस्था का प्रधान संक्षम होगा। दण्ड के मामले में, प्रबन्ध समिति को अपील की जा सकेंगी। यह अपील दण्ड सूचित किए जाने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रस्तुत की जाएगी। अपील पर निर्णय अपील की प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम छः सप्ताह के भीतर किया जायेगा। समस्त सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने एवं कर्मचारी को, यदि प्रबन्ध समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना चाहे, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर प्रबन्ध समिति अपील पर निर्णय निर्गत करेगी।

(3) समूह 'घ' कर्मचारी को यह भी विशेषाधिकार होगा कि उसकी अपील पर किये गये प्रबन्ध समिति के निर्णय के विरुद्ध वह मण्डलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाओं को निर्णय सूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के अन्दर अभ्यावेदन कर सकेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि प्रबन्ध समिति उपर्युक्त निर्धारित छः सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय उपरोक्त अपील पर न दे तो सम्बन्धित कर्मचारी अपना अभ्यावेदन सीधे मण्डलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाओं को उपरोक्त छः सप्ताह की अवधि बीत जाने पर दे सकता है।

(4) मण्डलीय उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालाओं द्वारा उप विनियम (3) के परंतुक के अधीन दिए गए अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा और अभ्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर निर्णय देगा। मंडलीय उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं का निर्णय अंतिम होगा।

44--(1) समूह 'ग' या समूह 'घ' के कर्मचारी को सेवा में घोर अनधीनता, जानबूझकर अथवा गम्भीर कर्तव्य की उपेक्षा, घोर दुराचरण अथवा ऐसा कार्य करना जिसमें दाण्डिक अपराध, बेईमानी, भ्रष्टाचार, निधियों का दुर्विनियोग, यौन विकृति अथवा नैतिक अधमता अन्तर्गस्त हो जैसे कार्यों के आधार पर सेवा से पदच्युत किया जा सकता है।



(2) समूह 'ग' या समूह 'घ' के कर्मचारी को उपविनियम (1) में उल्लिखित आधारों पर तथा प्रशासन अथवा संस्थागत कार्य की अदक्षता अथवा अनधिकृत द्यूशन अथवा नियोजन पर नौकरी से पृथक किया जा सकता है।

(3) समूह 'ग' या समूह 'घ' के कर्मचारी को प्रशासन में कमी, असंतोषजनक कार्य अथवा आचरण, पाठ्यानुवर्ती कार्यकलाप की अभिरुचि अथवा परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों के पालन में रुचि का अभाव अथवा संतुष्टपूर्ण सत्यनिष्ठा जैसे आधारों पर श्रेणी में अवनत किया जा सकता है अथवा उसकी परिलक्षियों में कमी की जा सकती है। यह कमी एक निम्न स्तर के वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान के निम्नतर सोपान में हो सकती है।

45—(1) समूह 'ग' या समूह 'घ' के कर्मचारी को समयमान वेतनमान में किसी अवधि के लिए अस्थायी अथवा स्थायी रूप से वेतनवृद्धि रोक कर भी दण्डित किया जा सकता है।

(2) ऐसा आदेश कर्मचारी को प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाओं को अपील की जा सकती है और मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाएँ का निर्णय अंतिम होगा।

46—(1) शिकायत अथवा गम्भीर प्रकृति के आरोपों के संबंध में प्रतिकूल आख्या प्राप्त होने पर प्रबन्ध समिति अध्यापकों के विषय में संस्था के प्रधान अथवा प्रबन्धक को जांच अधिकारी नियुक्त करेगी (अथवा प्रबन्धक स्वयं जांच प्रारंभ करेगा यदि प्रबन्ध समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत उसे यह अधिकार प्रतिनिहित हो गए हैं) और संस्था के प्रधान के संबंध में एक छोटी उपसमिति होगी जिसे आख्या यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश होंगे। समूह 'घ' कर्मचारियों के सम्बन्ध में संस्था के प्रधान द्वारा किसी वरिष्ठ अध्यापक को जांच अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

(2) उन आधारों को जिन पर कार्यवाही करना प्रस्तावित है, एक निश्चित आरोप अथवा आरोपों के रूप में करके दोषी कर्मचारी को प्रेषित किया जायेगा और जो इतने स्पष्ट और सही होंगे कि दोषी कर्मचारी को उसके विरुद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों का पर्याप्त संकेत कर देंगे। आरोप पत्र प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर उसे अपने प्रतिवाद का लिखित बतलाना देना होगा और यह बतलाना होगा कि क्या वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है। यदि वह अथवा जांच अधिकारी ऐसा चाहता है तो उन आरोपों के सम्बन्ध में जो स्वीकार नहीं किये गये हैं मौखिक जांच की जायेगी। उस जांच में ऐसे मौखिक साक्ष्य सुने जायेंगे जिन्हें जांच प्राधिकारी आवश्यक समझता है। दोषी व्यक्ति साक्षी से जिरह करने का, स्वयं साक्ष्य देने का और ऐसे साक्षियों को बुलाने का, जिन्हें वह चाहे, अधिकारी होगा, प्रतिबन्ध यह है कि जांच करने वाला जांच प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से, जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है। कार्यवाही में साक्ष्य का पर्याप्त अभिलेख और निष्कर्ष का विवरण तथा उसके आधार होंगे। जांच करने वाला जांच प्राधिकारी इन कार्यवाहियों से पृथक ऐसे कर्मचारी पर अधिरोपित किये जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति भी कर सकता है।

(3) उपविनियम (2) वहां लागू नहीं होगा जहां सम्बन्धित व्यक्ति फरार हो गया हो अथवा जहां अन्य कारणों से पत्र व्यवहार करना अव्यवहारिक है।

(4) उपविनियम (1) के किसी अथवा समस्त प्रतिबन्धों से पर्याप्त कारणों सहित जिसका लिखित रूप में अभिलेख होना चाहिए, छूट दी जा सकती है, जहां उसकी आवश्यकताओं का ठीक ठीक पालन करने में कठिनाई हो और उन आवश्यकताओं को जांच प्राधिकारी के मत से दोषी व्यक्ति के प्रति बिना अन्याय हुए, छोड़ा जा सकता है।

47—जांच प्राधिकारी से कार्यवाही की आख्या तथा संस्तुति प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही कर्मचारी को सूचना देने के पश्चात् प्रबन्ध समिति की बैठक कार्यवाही की आख्या तथा की गई संस्तुति पर विचार करने के लिए होगी और उस मामले पर निर्णय लेगी। कर्मचारी को, यदि वह चाहता है, समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होने की आज्ञा दी जायेगी जिससे वह अपना अभियोग प्रस्तुत कर सके और बैठक में उपस्थित किसी सदस्य द्वारा पूछे गये किसी प्रश्न का उत्तर दे सके। तब समिति पूर्ण आख्या, समस्त सम्बन्धित कागज पत्र सहित मण्डलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, को प्रस्तावित कार्यवाही की स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगी।

48--संस्था के प्रधान या अध्यापक के निलम्बन से सम्बन्धित रिपोर्ट में जो विनियम 47 के अधीन मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत की जायेगी, निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे :-

(क) निलम्बित किये गये व्यक्ति के नाम के साथ-साथ निलम्बन के समय तक उसकी मूल नियुक्ति के दिनांक से उसके द्वारा भूत पदों (वेतनमानों सहित) का विवरण जिसके अन्तर्गत निलम्बन के समय पर धृत पदावधि के प्रकार अर्थात् अस्थायी, स्थायी या स्थानापन्न से सम्बन्धित विवरण भी होगा ;

(ख) ऐसी रिपोर्ट की एक प्रमाणित प्रति जिसके आधार पर ऐसे व्यक्ति को अन्ततः स्थायी किया गया था या दक्षतारोक पार करने की अनुज्ञा दी गई थी, इसमें जो भी पश्चात्पूर्ती हो;

(ग) ऐसे सभी आरोपों के ब्यौरे जिनके आधार पर ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था;

(घ) ऐसी शिक्षागत रिपोर्टों और जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट, यदि कोई हो, की प्रमाणित प्रतियां जिनके आधार पर ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था;

(ङ) प्रबन्ध-समिति के उस संकल्प की प्रमाणित प्रति जिससे ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था;

(च) ऐसे व्यक्ति को जारी किये गये निलम्बन के आदेश की प्रमाणित प्रति;

(छ) यदि ऐसा व्यक्ति पहले भी निलम्बित किया गया था तो जिन आरोपों के आधार पर और जितनी अवधि के लिए वह पिछले अवसरों पर निलम्बित रहा, उनके ब्यौरे के साथ-साथ ऐसे आदेशों की प्रमाणित प्रतियां जिनके आधार पर वह बहाल किया गया था।

49--(1) कर्मचारी पर लगाए गए आरोप अथवा आरोपों को उसके विरुद्ध औपचारिक कार्यवाहियां आरम्भ करने का निर्णय लेने के दिनांक से सामान्यतः 15 दिन के भीतर दे देना चाहिए।

(2) कर्मचारी को सामान्यतः अपने प्रतिवाद का लिखित वक्तव्य तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दे देना चाहिए और किसी भी दशा में इस कार्य के लिए एक मास से अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए।

(3) लिखित वक्तव्य देने के एक मास के भीतर सामान्यतः साक्षी की जांच, मौखिक परीक्षा सहित पूर्ण हो जानी चाहिए।

(4) जांच करने वाली एजेंसी की आरख्या जहां वह स्वयं दण्ड प्राधिकारी नहीं है, यथासम्भव शीघ्रता के साथ और सामान्यतः जांच समाप्त होने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत होनी चाहिए।

(5) दण्ड प्राधिकारियों को अनावश्यक विलम्ब के बिना निर्णय ले लेना चाहिए।

50--निलम्बित कर्मचारी को उसके वेतन का आधा जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

51--निलम्बित कर्मचारी को यदि बहाल किया जाए, उसके वेतन तथा प्राप्त निर्वाह भत्ते के अन्तर दिया जायेगा।

52--निलम्बित कर्मचारी दण्ड प्राधिकारी की सहमति से निलम्बन के अथवा किसी अन्य दिनांक से दण्डित किया जा सकता है।

53--मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3), (4), (5) उल्लिखित कार्यवाही के लिये प्रबंधतंत्र से पूर्ण रूप में प्रस्ताव प्राप्त होने के छः सप्ताह के भीतर प्रबन्धाधिकरण को निर्णय की सूचना प्रेषित करेगा। यदि प्रबन्धक से अपूर्ण कागज पत्र प्राप्त होते हैं तो स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी प्रस्ताव को पूर्ण रूप से पुनः प्रस्तुत करने को कहेगा और इस विनियम प्रस्तावित छः सप्ताह की अवधि स्वीकृत देने वाले प्राधिकारी के पास पूर्ण कागज पुनः प्राप्त होने के दिनांक से संगणित की जायेगी। ये कागज पत्र या तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा या विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे।



54-अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) (ख) के खण्ड (ख) में विहित उपबन्धों के अधीन, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के निर्णय से व्यक्ति कोई भी पक्ष आदेश की सूचना जाने के दिनांक से एक माह के भीतर निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं, उत्तर प्रदेश के माध्यम से शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश को अपील कर सकता है निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं ऐसी आवश्यक जांच कर सकता है तथा अपील पर अपनी संसुति शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश का बदल करेगा जो की गई कार्रवाई, आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द या उमान्तरित कर सकता है। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

55-संस्था के समूह 'ग' के कर्मचारियों के समूह में उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाओं प्रस्तावित दण्ड को अनुपातित, रद्द या कम या बढ़ा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड के मामलों में उपशिक्षा निदेशक (संस्कृत) सम्बन्धित कर्मचारी को एक अग्रसर दिने जो नोटिस जाने के 15 दिन के भीतर कार्रवाई कर रणनीकरण देगा।

56-विनियम 35 में विहित उपबन्धों के अधीन कोई भी पक्ष मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को सूचना जांच के एक माह के भीतर अपील करने और मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक जांच के समाप्ति को आवश्यक है, आदेश को स्वीकृत, निरस्त या उमान्तरित कर सकता है। यह अंतिम होगा। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अपील पर तीन माह के भीतर आदेश पारित करेगा।

### अध्याय-7

#### वेतनमान तथा वेतनों का भुगतान

57-अध्यापक या संस्था के प्रधान या अन्य कर्मचारियों को वेतन-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान अनुमान्य किये जायेंगे।

58-संस्था के प्रधान या अध्यापक या अन्य कर्मचारी का वेतन संस्था में प्रथमतः सेवाभार ग्रहण करने पर उसके पद से सम्बन्ध समयमान वेतनमान के प्रारम्भिक सोपान पर निर्धारित किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसने इससे पूर्व अन्य संस्था में कार्य किया है तथा वेतनवृद्धियां अर्जित की हैं तो उसे उन वेतनवृद्धियों का लाभ राज्य सरकार अथवा इस विनियमावली में विहित शर्तों के अनुसार किया जा सकता है।

अपतरे प्रतिबन्ध यह है कि अग्रिम वेतनवृद्धियां विराम पश्चात् में शासन की पूर्ण स्वीकृति से ही दी जायेगी।

59-एक उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर कर्मचारी का आरम्भिक वेतन नये वेतनमान के निम्नतम पर निर्धारित किया जायेगा, यदि उसका वेतन उसके न्यूनतम से कम है, अन्यथा नये समयमान वेतनमान के उसके वेतन के अगले सोपान पर।

60-प्रत्येक समिति संस्था के प्रधान या अध्यापक या अन्य कर्मचारी के एक मास के वेतन का भुगतान अगले कम्प्लेण्डर मास की 20वीं तिथि तक करेगी।

61-वेतन का भुगतान खाता द्वारा किया जायेगा जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा।

62-किन्हीं संस्था में स्थानापन्न अथवा चैदिक रूप से की गई अधिरल सेवा वेतन के समयमान वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के लिए आमणित की जायेगी।

63-संस्था के प्रधान, अध्यापक या अन्य कर्मचारी को वेतन के समयमान वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धियां प्राप्त होंगी जब तक संस्थाकी वेतनवृद्धियां रोकने का दण्ड नहीं दिया जाता है अथवा वह दण्डाधिक पर निरस्त नहीं किया जाता है।

64-संस्था के किसी प्रधान को दक्षतारोक वाद करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह अपने को छात्रों एवं अध्यापकों के लिए योग्य पक्षप्रदर्शक तथा दक्ष पर्यवेक्षक नहीं सिद्ध कर लेता, संस्था में उचित वातावरण का निर्माण नहीं कर लेता, संतोषजनक शैक्षिक मानदण्ड उपलब्ध नहीं कर लेता, पाठ्यपुस्तक कार्यक्रमों का संतोषजनक सामान नहीं कर लेता, अपने को प्रगतिशील शैक्षिक विचार और विचारों की भाषा के साथ नहीं रखता तथा उसके सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं कर दी जाती।

65--किसी अध्यापक को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह अपने को एक सुयोग्य अध्यापक नहीं सिद्ध कर लेता, छात्रों पर स्वस्थ छाप छोड़े, अनुशासन बनाये रखने तथा पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रमों में सहयोग, संस्था के प्रति स्वाभिभव तथा उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित कर दी जाए।

66--किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक की विनियम 64 या 65 के अधीन दक्षतारोक पार नहीं हो तो वह आदेश के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ऐसी जांच, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे जो अंतिम होगा तथा प्रबन्ध समिति द्वारा उसे क्रियान्वित किया जायेगा।

### अध्याय-8

#### एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण

67--किसी अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न किसी संस्था का प्रधान या कोई स्थायी अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी दूसरी संस्था में स्थानान्तरण चाहता है, तो संस्था के प्रधान तथा प्रबन्धक के माध्यम से मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें को प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र में आवेदक के अन्य विवरणों के अतिरिक्त संस्थाओं के नाम, स्थान व जिला जहां के लिए स्थानान्तरण चाहा गया है, लिखित होंगे।

68--विनियम 67 में किये गये प्रावधान के अनुसार मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को उसके द्वारा संस्था के प्रबन्धक को जहां स्थानान्तरण चाहा गया है, अग्रसारित किया जायेगा तथा संस्था का सम्बन्धित प्रबन्धक प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के साथ अपनी संस्तुति भेजेगा। उस पर मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को संस्तुति के साथ कागज पत्रों को स्थानान्तरण के आदेश, हेतु भेजेगा जो उचित आदेश पारित करेगा।

69--उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें तथा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक इस निमित्त उनके द्वारा प्राप्त स्थानान्तरण के आवेदन पत्रों का रजिस्टर विनियम 67 व 68 के अधीन रखेंगे।

70--विनियम 67 और 68 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार यदि संस्था का प्रधान अथवा अध्यापक एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानान्तरण चाहता है तो मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक स्थानान्तरण के कागज पत्र निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश के माध्यम से शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को भेजेगा। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) का निर्णय अंतिम होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि संस्था का प्रधान अथवा अध्यापक एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानान्तरण चाहता है, तो मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कागजपत्र को प्रबन्ध कमेटी की संस्तुति और प्रस्ताव के साथ, जहाँ वह स्थानान्तरण चाहता है, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश को भेजेगा।

71--किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सेवायोजित व्यक्ति उस संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरित नहीं होगा जब तक कि --

(क) ऐसी संस्था की प्रत्येक प्रबन्ध समिति द्वारा संकल्प पारित कर ऐसे स्थानान्तरण की सहमति नहीं देती,

(ख) ऐसा स्थानान्तरण प्रभावी होने के पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक है।

72--विनियम 68, 69 तथा 70 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन किये गये स्थानान्तरण पर, पूर्व संस्था का प्रबन्धक दूसरी संस्था के प्रबन्धक को कर्मचारी की सेवा पुरितका, चरित्र पंजी, छुट्टी का लेखा, भविष्य निधि लेखा और अद्यावधि विरहित अन्य सुसंगत अभिलेख भेजेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि दूसरी संस्था को सभी सुसंगत अभिलेख जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर एक माह के भीतर भेजे जायेंगे।

73--(1) संस्था का प्रधान, अध्यापक या अन्य कर्मचारी स्थानान्तरित होने पर यात्रा भत्ता का हकदार नहीं होगा।



(2) उसे प्रति 100 किलोमीटर प्रति दिन की दर से अथवा इसका अंश अधिकतम तीन दिन की शर्त पर यात्रा अवकाश अनुमत्य होगा।

(3) संस्था के प्रधान, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का भुगतान जिस संस्था में वह कार्यभार ग्रहण करता है, उस संस्था द्वारा किया जायेगा।

(4) नई संस्था में स्थानान्तरित संस्था के प्रधान, अध्यापक या अन्य कर्मचारी का नाम संस्था में उसके संवर्ग में प्रधान, अध्यापक व कर्मचारी की ज्योष्ठता सूची में सबसे नीचे अंकित किया जायेगा अर्थात् वह अपनी ज्योष्ठता खो देगा।

#### अध्याय--9

##### कार्य एवं सेवा का अभिलेख रखना

74--प्रत्येक संस्था के प्रधान, अध्यापक व अन्य कर्मचारी के लिए एक चरित्र पंजी तथा एक सेवापुस्तिका रखी जायेगी।

75--अध्यापकों के कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में उसकी चरित्र पंजी में वार्षिक प्रविष्टियां संस्था के प्रधान द्वारा की जायेगी तथा संस्था के प्रबन्धक द्वारा अनुमोदित की जायेगी। संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में प्रविष्टियां संस्था के प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

76--जहां एक वर्ष विशेष में किसी संस्था के प्रधान, अध्यापक या किसी कर्मचारी की चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाती है, वहाँ ऐसी प्रविष्टि किये जाने के 30 दिन के भीतर उसे सूचित किया जायेगा और उसकी प्राप्ति की स्वीकृति ली जायेगी। इसी प्रकार सत्यनिष्ठा के प्रमाण पत्र रोके जाने की सूचना भी दी जायेगी।

77--चरित्र पंजी की प्रतिकूल प्रविष्टि के निरन्तर प्रत्यावेदन प्रबन्ध समिति को किया जा सकता है जिसका निर्णय अंतिम होगा।

78--राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रपत्र पर एक सेवा-पुस्तिका संस्था के कर्मचारी को उसके अपने मूल्य पर प्रथम नियुक्ति पर दी जायेगी और चरित्र-पंजी के साथ अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में संस्था के प्रधान की तथा संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में प्रबन्धक की अभिरक्षा में रखी जायेगी।

79--संस्था के अध्यापक या कर्मचारी को किसी भी समय अपनी सेवा पुस्तिका की जांच करने की अनुमति दी जायेगी यदि वह इस बात के लिए संतुष्ट होना चाहे कि उसकी सेवा-पुस्तिका भूली-भांति रखी जा रही है।

80--अध्यापक या कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका में वार्षिक वेतन-वृद्धि, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रत्येक प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा और सेवा में कोई भी व्यवधान उसकी अवधि के पूर्ण विवरण सहित अभिलिखित होगा। अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के विषय में संस्था के प्रधान द्वारा तथा संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा सेवा-पुस्तिका की समस्त प्रविष्टियां प्रमाणित की जायेगी। आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, वैयक्तिक कार्य हेतु अवकाश तथा असाधारण अवकाश उस सीमा तक अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों पर लागू हों।

आज्ञा से,

जितेन्द्र कुमार,

सचिव।

## प्रतिष्ठान-क

(अध्यापक-2 के नियम दो के अन्तर्गत)

संस्था के प्रधान एवं अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं

क्रम संख्या	पदनाम	शैक्षिक अर्हता	प्रशिक्षण	अनुभव	आयु	अर्हताओं अर्हता
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रधानाचार्य / प्रधान अध्यापक (उत्तर मध्यम) / पूर्व (उत्तर मध्यम) / पूर्व (मध्यम) प्रधान	कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (आचार्य) संस्कृत मुख्य विषय के रूप में	शिक्षाशास्त्रो / बी०ए०ए०	संस्कृत विषयों में कम से कम दो वर्ष का अध्ययन अनुभव	न्यूनतम 30 वर्ष	पारंपरिक उपाधि को वरीयता
2.	ज्योतिष अध्यापक (उत्तर मध्यम)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर (आचार्य) उपाधि				पारिभाषिक और पारंपरिक उपाधि को वरीयता
3.	ज्योतिष अध्यापक (पूर्व मध्यम)	कम से कम सम्बन्धित विषय में स्नातक (शास्त्री) उपाधि	शिक्षा शास्त्रो / बी०ए०ए०			पारंपरिक उपाधि को वरीयता
4.	ज्योतिष अध्यापक (प्रथम विद्यालय)	कम से कम सम्बन्धित विषय में स्नातक (शास्त्री) उपाधि	शिक्षा शास्त्रो / बी०ए०ए०			पारंपरिक उपाधि को वरीयता
5.	दशम शारदा अध्यापक (उत्तर मध्यम)	कम से कम द्वितीय श्रेणी में सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर (आचार्य) उपाधि				पारिभाषिक और पारंपरिक उपाधि को वरीयता
6.	दशम शारदा अध्यापक (पूर्व मध्यम)	कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक (शास्त्री) उपाधि	शिक्षाशास्त्रो / बी०ए०ए०			पारंपरिक उपाधि को वरीयता
7.	ज्योतिष अध्यापक	कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक (शास्त्री) उपाधि	शिक्षाशास्त्रो / बी०ए०ए०			पारंपरिक उपाधि को वरीयता



1	2	3	4	5	6	7
8.	व्याकरण अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर (आचार्य) उपाधि				पारंपरिक उपाधि को बरीयता
9.	व्याकरण अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथम	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक (शास्त्री) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी०ए०ड०			पारंपरिक उपाधि को बरीयता
10.	वैद अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर (आचार्य) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी०ए०ड०	संस्कृत विषय कम से कम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव	न्यूनतम आयु 30 वर्ष	पारंपरिक उपाधि को बरीयता
11.	वैद अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथम	कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक (शास्त्री) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी०ए०ड०			
12.	साहित्य अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में आचार्य / स्नातकोत्तर उपाधि				पारंपरिक उपाधि को बरीयता
13.	साहित्य अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथम	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक (आचार्य) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी०ए०ड०			पारंपरिक उपाधि को बरीयता
14.	हिन्दी अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा संस्कृत के साथ बी०ए० अथवा शास्त्री				
15.	हिन्दी अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथम	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में बी०ए०	शिक्षाशास्त्री / बी०ए०ड०			
16.	गणित अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि				
17.	गणित अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथम	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी०ए०ड०			
18.	गृह विज्ञान / गृह अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय के साथ कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि				

1	2	3	4	5	6	7
19.	गृह विज्ञान / गृह अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी०एड०			
20.	सामाजिक विषय अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि				
21.	समाजशास्त्र विषय अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक	शिक्षाशास्त्री / बी०एड०			
22.	अंग्रेजी अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि				
23.	अंग्रेजी अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी०एड०			
24.	विज्ञान अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि				
25.	विज्ञान अध्यापक	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि				
26.	संगीत अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा भारतखण्डे विद्यापीठ, लखनऊ से निपुण परीक्षा अथवा प्रयाग संगीत समिति प्रयाग की प्रवीण परीक्षा				
27.	संगीत अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक अथवा भारतखण्डे विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विद्यार्थ परीक्षा अथवा प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा				



1	2	3	4	5	6	7
28.	पेंटिंग तथा व्यवसायिक कला अध्यापक	डाईंग तथा पेंटिंग में स्नातक, अथवा कला एवं शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट	शिक्षाशास्त्री / बी०ए०ड० या समकक्ष प्रशिक्षण			
29.	पेंटिंग तथा व्यवसायिक कला अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अथवा प्राविधिक कला के साथ उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा ड्राइंग का बेटिंग के साथ बी०ए० अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा				
30.	कर्मकांड अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर (आचार्य) उपाधि				
31.	कर्मकांड अध्यापक (पूर्व मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में शास्त्री (स्नातक) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी०ए०ड०			
32.	न्याय अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर (आचार्य) उपाधि				
33.	न्याय अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में शास्त्री (स्नातक) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी०ए०ड०			
34.	योग अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर (आचार्य) उपाधि				
35.	योग अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय के साथ कम से कम द्वितीय श्रेणी में शास्त्री (स्नातक) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी०ए०ड०			

1	2	3	4	5	6	7
36.	आयुर्वेदाचार्य (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर (आचार्य) उपाधि				
37.	आयुर्वेदाचार्य (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय को साथ कम से कम द्वितीय श्रेणी में शास्त्री (स्नातक) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी०ए०डी०			
38.	अर्थशास्त्र अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम०कॉम० और बी०कॉम० अर्थशास्त्र सहित				
39.	अर्थशास्त्र अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की शास्त्री (स्नातक) उपाधि				
40.	इतिहास अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि	प्रशिक्षित			
41.	इतिहास अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में शास्त्री (स्नातक) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी०ए०डी०			
42.	नागरिकशास्त्र अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि	प्रशिक्षित			
43.	नागरिकशास्त्र अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम से कम शास्त्री (स्नातक) उपाधि	शिक्षा शास्त्री / बी०ए०डी०			
44.	भूगोल अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम स्नातकोत्तर उपाधि	प्रशिक्षित			
45.	भूगोल अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में शास्त्री (स्नातक) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी०ए०डी०			



1	2	3	4	5	6	7
46.	मनोविज्ञान अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि	प्रशिक्षित			
47.	शैक्षिक विज्ञान अध्यापक	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम0एड0	प्रशिक्षित			
48.	समाजशास्त्र अध्यापक	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि	प्रशिक्षित			
49.	वाणिज्य अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि				
50.	वाणिज्य अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में शास्त्री (स्नातक) उपाधि	प्रशिक्षित			
51.	बुनाई तथा कटिंग अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	आई टी के साथ बुनाई एवं कटिंग में अर्हता अथवा राजकीय रचनात्मक एवं प्रशिक्षण विद्यालय से समकक्ष परीक्षा				
52.	बुनाई तथा कटिंग अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	आई टी के साथ बुनाई एवं कटिंग में अर्हता अथवा राजकीय रचनात्मक एवं प्रशिक्षण विद्यालय से समकक्ष परीक्षा	प्रशिक्षित			
53.	प्रशिक्षण अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	टेलरिंग में इण्टरमीडिएट विशेष अर्हता. सी0डी0 टेलरिंग अथवा समकक्ष परीक्षा				
54.	प्रशिक्षण अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	टेलरिंग में इण्टरमीडिएट विशेष अर्हता. सी0डी0 टेलरिंग अथवा समकक्ष परीक्षा				
55.	बंगाली अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	बंगाली में स्नातकोत्तर उपाधि	प्रशिक्षित			

1	2	3	4	5	6	7
56.	बंगाली अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	बंगाली विषय के साथ स्नातक	प्रशिक्षित			
57.	पंजाबी अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	पंजाबी विषय के साथ स्नातकोत्तर	प्रशिक्षित			
58.	पंजाबी अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	पंजाबी विषय के साथ स्नातक	प्रशिक्षित			
59.	उर्दू अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	उर्दू विषय के साथ स्नातकोत्तर	प्रशिक्षित			
60.	उर्दू अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	उर्दू विषय के साथ स्नातक	प्रशिक्षित			
61.	नेपाली अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	नेपाली विषय के साथ स्नातकोत्तर	प्रशिक्षित			
62.	नेपाली अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	नेपाली विषय के साथ स्नातक	प्रशिक्षित			
63.	पाली अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	पाली विषय के साथ स्नातकोत्तर	प्रशिक्षित			
64.	पाली अध्यापक (पूर्व मध्यमा) / प्रथमा	पाली विषय के साथ स्नातक	प्रशिक्षित			



परिशिष्ट--ख

(अध्याय--2 के विनियम 8(4) के सन्दर्भ में)

(क) ऐसे व्यक्ति का विवरण जो पद पर अन्तिम बार था :-

1. पदनाम
2. वेतनमान
3. रिक्ति होने का दिनांक और उसका कारण
4. रिक्ति का प्रकार -- छुट्टी, अस्थायी या मौलिक
5. पद के लिए विहित अर्हताये
6. पिछले पदधारी का नाम तथा वेतन
7. अभ्युक्ति

(ख) नियुक्त किये गये व्यक्ति का विवरण :-

1. नाम
2. तन्ना दिनांक
3. अर्हताये -- परीक्षाये, उन्हें उत्तीर्ण करने के दिनांक के साथ--साथ विषय, श्रेणी सहित
4. उस वेतनक्रम में जिससे पदोन्नति की गयी हो, ज्येष्ठता के अनुसार स्थिति
5. ऐसी अवधि दिनांक सहित जिसके लिए नियुक्ति की गई हो
6. अनुमत वेतन और वेतनमान
7. अभ्युक्ति

## परिशिष्ट-ग

[अध्याय-2 के विनियम 9(1) के सन्दर्भ में]

संस्था का नाम ..... पद  
का वितरण जिसके लिए साक्षात्कार लिया गया।

साक्षात्कार का स्थान ..... साक्षात्कार का दिनांक .....

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम पते सहित	क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है	जन्म दिनांक
1	2	3	4

सर्वोपर्य परीक्षा	विषय	वर्ष	श्रेणी	पूर्व अनुभव			अवधि ..... से ..... तक
				धृत पद	वेतनमान	संस्था का नाम	
5	6	7	8	9	10	11	12

अन्य कार्यकलाप	दिगे गये गुण विषयक अंक	चयन समिति के सदस्यों का पर्यवेक्षण	साक्षात्कार अंक
13	14	15	16

गुण विषयक और साक्षात्कार के अंकों का योग	क्या सदस्य चयन से सहमत हैं (है या नहीं) यदि नहीं तो संक्षेप में कारण बताइए	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
17	18	19

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने प्रश्नगत चयन से सम्बन्धित सभी अभिलेखों की जांच कर ली है और विशेष रूप से परीक्षा कर ली है कि कोई भी अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के आधार पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने के विधि सम्मत दावे से वंचित नहीं रखा गया है।

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पद नाम .....

पता .....



परिशिष्ट-घ

[अध्याय-2 के विनियम 9(ज) के सन्दर्भ में]

किसी संस्था के प्रधान और अध्यापक के लिए गुण विषयक माप मान संस्था के प्रधान के लिए गुण विषयक अंक  
साक्षात्कार में बुलाने के लिए अधिकतम गुण 150  
विषयक अंक  
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक 50

हाईस्कूल  
इन्टरमीडिएट  
उपाधि परीक्षा  
स्नातकोत्तर उपाधि

प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
10	7	4
20	15	8
30	23	12
40	30	16

प्रशिक्षण उपाधि / डिप्लोमा

सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
प्रथम	प्रथम	20
प्रथम	द्वितीय	18
द्वितीय	प्रथम	16
द्वितीय	द्वितीय	12
द्वितीय	तृतीय	10
तृतीय	द्वितीय	10
अन्य		8

शिक्षण अनुभव - प्रत्येक वर्ष के लिए

2 अंक और अधिकतम 15 अंक।

प्रशासनिक अनुभव - प्रति वर्ष के लिए

2 अंक और अधिकतम 15 अंक

पत्रिका पद के लिए गुण विषयक अंक -

साक्षात्कार में बुलाने के लिए अधिकतम गुण

विषयक अंक

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए

अधिकतम अंक

150

50

हाईस्कूल

इन्टरमीडिएट

स्नातक परीक्षा

स्नातकोत्तर उपाधि

प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	2	3
10	7	4
20	15	8
30	23	12
50	38	20

प्रशिक्षण	सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
	प्रथम	प्रथम	10
	प्रथम	द्वितीय	9
	द्वितीय	प्रथम	8
	द्वितीय	द्वितीय	6
	द्वितीय	तृतीय	5
	तृतीय	द्वितीय	--
	अन्य		4

शिक्षण अनुभव -- प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक

और अधिकतम 15 अंक

साह -- पाठ्यचर्या कार्यकलाप

15

एनटी0 वेतनमान के अध्यापकों के लिये गुण विषयक अंक

साक्षात्कार के लिए बुलाने के लिए अधिकतम

150

गुण विषयक अंक

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए

50

अधिकतम अंक

हाईस्कूल

इंटरमीडिएट

स्नातक उपाधि

स्नातकोत्तर उपाधि

प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
15	12	6
25	18	10
40	30	16
20	15	18

प्रशिक्षण

सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
प्रथम	प्रथम	20
प्रथम	द्वितीय	18
द्वितीय	प्रथम	16
द्वितीय	द्वितीय	12
द्वितीय	तृतीय	10
तृतीय	द्वितीय	--
अन्य		8



शिक्षण अनुभव - पतिवर्ष के लिए 2 अंक

और अधिकतम 15 अंक।

सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप

15

उपरोक्त पाठ्यक्रम में सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप के लिए दिये गये गुण विषयक अंकों के द्योरे निम्न प्रकार हैं :-

तीन	सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप	सक्रिय रूप से भाग लिया	
(क)	खेल / खेलकूद	विद्यालय एकादश	1
		महाविद्यालय	2
		विश्वविद्यालय	3
		राज्य	5
(ख)	स्काउटिंग	द्वितीय श्रेणी	1
	और राष्ट्रीय कैडेट कोर या पीनएसडी	प्रथम श्रेणी	3
		राष्ट्रपति	5
		कारपोरल	1
		सार्जेंट	2
		कम्पनी सार्जेंट, मेजर	3
		बटालियन सार्जेंट, मेजर	4
		अन्डर आफिसर	5
(ग)	अन्य दक्षता अर्थात्	विद्यालय स्तर	1
	नाद-विवाद, नाट्यकला	महाविद्यालय स्तर	2
	यू.ए.ए. / पतंजलिमेन्ट	विश्वविद्यालय स्तर	3
		राज्य स्तर	5

टिप्पणी - गुण विषयक अंकों की गणना करने के लिए इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा को हाईस्कूल के समकक्ष और पीनएसडी को उन्डरसर्जिएंट के समकक्ष समझा जायेगा।

परिशिष्ट-ड

[आयाम-2 के विनियम 14 के अन्वय में]

संशुद्धीकृत आवरण में

संख्या .....

दिनांक .....

संस्था का नाम .....

स्थान .....

जिला .....

विषय :- संस्था के अध्यापक/प्रधान की नियुक्ति।

महोदय/महोदया,

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि चयन समिति द्वारा आपका चयन ..... के पद के लिए किया गया है। संस्था की प्रबन्ध समिति ने अपने संकल्प संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा आपको ..... रूपों के वेतनमान में ..... रूपों के प्रारम्भिक वेतन तथा नियमावली के अधीन तथा अनुपन्य गृहगार्ड भत्ते पर एक वर्ष की परीक्षा पर ..... तक अस्थायी रूप से ..... के रूप में नियुक्त कर लिया है।

आपसे इस पत्र की प्राप्ति के दिनांक से दस दिन के भीतर संस्था के प्रधान / प्रबन्धक के समक्ष उपस्थित होने और कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है। यदि आप हयर डिप्लिमेंट ग्रेजुएट के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे तो इस नियुक्ति को रद्द किया जा सकेगा।

भवदीय

प्रबन्धक।

प्रतिलिपि:-मण्डलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें/जिला विद्यालय निरीक्षक  
...../ मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ..... को सूचनार्थ अग्रसारित।